



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सीआईएन : L45203DL1976GOI008171

पंजीकृत कार्यालय : सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017

दूरभाष: +91-11-26530266 फैक्स: 91-11-26854000, 26522000 ई-मेल : investors@ircon.org
वेबसाइट: www.ircon.org

46वीं आम बैठक के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की 46वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") आयोजित की जाएगी, जिसके प्रयोजन हेतु सी – 4, जिला केंद्र साकेत नई दिल्ली –110017 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना जाएगा और निम्नलिखित व्यवसायों के संव्यवहार के लिए, वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही को वहां किया गया माना जाएगा:

साधारण व्यवसायः

1. दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने हेतु।
2. 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने हेतु।
3. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹0.45 के पहले अंतरिम लाभांश, ₹0.70 के दूसरे अंतरिम लाभांश और ₹0.70 के तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान अर्थात् कुल ₹2/- के अंकित मूल्य पर ₹1.85 प्रति इक्विटी शेयर के भुगतान की पुष्टि हेतु और ₹2/- रुपये के अंकित मूल्य पर 0.65 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश [अर्थात् 188,10,31,480 रुपये की प्रदत्त पूँजी पर 32.50 प्रतिशत जो, 61.13 करोड़ रुपये है] घोषित करने हेतु।
4. श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजना) (डीआईएन:07598920) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

5. श्री धनंजय सिंह, अंशकालिक (सरकारी) निदेशक (डीआईएन:08955500) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

6. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसायः

7. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों को, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए:

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार मैसर्स आर.एम.बसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में 50,000/- का पारिश्रमिक जमा जीएसटी और वास्तविक आउट ऑफ पॉकेट भत्ते (केवल दिल्ली एनसीआर के बाहर यात्रा के मामले में) सहित पारिश्रमिक पर नियुक्ति हेतु एतद्वारा पुष्टि की जाती है।”

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए**

ह/-

(रितु अरोड़ा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ5270

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 अगस्त, 2022

टिप्पणियाँ:

1. वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र के साथ पठित अपने दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 15 जून 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 13 जनवरी, 2021, 23 जून, 2021 तथा 8 दिसंबर 2021 के परिपत्रों के तहत, और दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 तथा 13 मई, 2022 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') के परिपत्रों (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के तहत कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से एक समान स्थान पर वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। इसलिए, परिपत्र के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के अनुसार, कंपनी की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है और सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। एजीएम का विधिवत स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि, यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से परिपत्र के अनुसार आयोजित की जा रही है, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
3. कॉरपोरेट निकाय रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के उद्देश्य से या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं। अतः कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के संकल्प/पावर ऑफ एटार्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें जिसमें उनके प्रतिनिधि को एजीएम से पहले या एजीएम में, उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो।
4. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल वही संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर हैं, एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे।
5. अधिनियम की धारा-103 के अनुसार एजीएम के कोरम की गणना के लिए, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी को गिना जाएगा।

6. संस्थागत शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
7. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है और नोटिस का भाग है।
8. अधिनियम की धारा—139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एड एजी) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा—142 के अनुसार पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या इस तरह से तय किया जाना चाहिए जैसा कि कंपनी वार्षिक आम बैठक में निर्धारित करे। सी एड एजी ने दिनांक 18 अगस्त, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मेसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स (डीई0987) को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी के सदस्यों ने दिनांक 24 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 45वीं वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने लेखा इकाइयों के दौरे के लिए वास्तविक यात्रा और आउट—ऑफ—पॉकेट की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों और भारतीय शाखा लेखापरीक्षकों के लिए लागू कर सहित 25,95,000/- का लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित किया है।
9. सीएंडएजी से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति अभी प्राप्त की जानी है। सदस्य वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का अनुमानित शुल्क लगभग 30 लाख रुपए है।
10. कोई भी निदेशक, केएमपी और उनके रिश्तेदार, कंपनी में किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं और किसी भी सामान्य व्यावसायिक मदों में हितधारक नहीं हैं, केवल श्री श्याम लाल गुप्ता, श्री धनन्जय सिंह, कंपनी के निदेशक/शेयरधारक होने के कारण मद सं. 4 और 5 के लिए, तथा और सभी निदेशकों और केएमपी, मद सं. 3 के लिए, कंपनी में उनकी शेयरधारित के स्तर तक, यदि कोई हो, हितधारक हैं।

11. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित अधिनियम की धारा—102(1) के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
12. परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई–मेल पते, कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 को कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर “निवेशक खंड” में भी अपलोड किया गया है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 को स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों से क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। नोटिस नेशनल सिक्योरिटीस डिपॉजिटरी लिमिटेड (“एनएसडीएल”) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
13. ‘हरित पहल’ का समर्थन करने के लिए और परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलैक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ ई–मेल पंजीकृत करें और भौतिक रूप से धारित शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, 208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 को लिखित रूप में सूचित करें या rta@alankit.com पर मेल करें।
14. एजीएम की तारीख तक, कंपनी की ईमेल आईडी investors@ircon.org पर लिखकर, संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज, निरीक्षण के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्नों को कंपनी सचिव को, बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पहले ईमेल आईडी investors@ircon.org पर भेजें, ताकि बैठक में उक्त जानकारीं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है।
15. दिनांक 16 सितंबर, 2022 को होने वाली आगामी एजीएम की रिकॉर्ड विनियम, 2022 के विनियम–40 में संशोधन किया है और यह अनिवार्य किया है कि ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को केवल डीमैटिरियलास्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए

और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डीमैट्रियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का फायदा उठाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को डीमैट्रियलाइज करें।

17. भौतिक रूप में बहुल फोलियो में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों सहित शेयरों के समेकन के लिए कंपनी या आरटीए को आवेदन करें।
18. सेबी ने दिनांक 3 नवंबर, 2021 और 15 दिसंबर, 2021 के अपने परिपत्रों के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन जमा करने, और दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड (अलंकित या आरटीए) में जमा करें। इसे अद्यतन करने के लिए प्रपत्र

https://www.ircon.org/images/file/Shareholders_Letter_Website_Updater.pdf
लिंक पर उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के पास जमा कराएं।

यदि भौतिक प्रतिभूतियों का धारक, इन विवरणों को प्रस्तुत करने या नियत तारीख से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है, तो आरटीए, ऐसे फोलियो को फ्रीज करने के लिए बाध्य है। फ्रीज फोलियो में प्रतिभूतियां, संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही, भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करने और शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगी। यदि दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक प्रतिभूतियां फ्रीज बनी रहती हैं, तो आरटीए, ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, और / या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकारी को भेजेगा।

19. अधिनियम की धारा 72 के तहत यथा अनुमत, भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अंतर्गत, कंपनी के आरटीए को निर्धारित फॉर्म (फॉर्म सं. एसएच-13) जमा कराए। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को छोड़ना या रद्द करना चाहता है और एक नया नामांकन दर्ज करना चाहता है, तो वह इसे आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में जमा कर सकता है। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट

<https://www.ircon.org/images/file/Shareholders Letter Website Updation.pdf>

से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

डीमैटिरियलाइस्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में, संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास नामांकन दाखिल करना होगा।

20. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के ट्रांसमिशन, सब-डिवीजन, समेकन के पंजीकरण या शेयरों से संबंधित किसी अन्य मामलों के सभी पत्राचार को कंपनी के आरटीए को भेजें।
21. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन के संबंध में तत्काल सूचित करें:
 - i. डीमैटिरियलाइस्ड रूप में धारित शेयरों के संबंध में उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों (डीपी) को, और
 - ii. कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में या उसके आरटीए, अलंकित में, उनके भौतिक शेयरों के संबंध में, यदि कोई हो, उनके फोलियो सं. का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत करें।
22. अप्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए को निम्नलिखित के बारे में सूचित करें:
 - i. स्थायी सेटलमेंट के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
 - ii. भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और पिन कोड नंबर के साथ बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया है।
23. वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क, उस स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान किया गया है, जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। साथ ही, वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान डिपॉजिटरियों अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दोनों को किया गया था।
24. चूंकि, परिपत्रों के अनुसार, एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा, इस नोटिस में रूट मैप, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं हैं।
25. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा—108, 110 और इसके तहत बनाए गए नियमों सहित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम—44, एसएस—2 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी एजीएम के दिन, इस एजीएम में

संव्यवहार की जाने वाली मदों के संबंध में कंपनी के सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस संबंध में, कंपनी ने एजीएम आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

26. एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिस सदस्य ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकता हैं लेकिन वे अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

27. लाभांश संबंधी जानकारी

- i. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल ने निम्नलिखित अंतरिम लाभांश घोषित किए हैं—
- (क) दिनांक 12 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति 2/- रुपये के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर 0.45 रुपए का पहला अंतरिम लाभांश (अर्थात् 188.10 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 22.50 प्रतिशत की दर से), जिसका भुगतान दिनांक 6 सितंबर, 2021 को किया गया था।
- (ख) दिनांक 12 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति 2/- रुपये के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर 0.70 रुपए का दूसरा अंतरिम लाभांश (अर्थात् 188.10 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 35 प्रतिशत की दर से), जिसका भुगतान दिनांक 7 दिसंबर, 2021 को किया गया था।
- (ग) दिनांक 14 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति 2/- रुपये के अंकित मूल्य पर 0.70 रुपए प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम लाभांश (अर्थात् 188.10 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 35 प्रतिशत की दर से), जिसका भुगतान दिनांक 8 मार्च, 2022 को किया गया था।
- ii. बोर्ड ने आगे, दिनांक 27 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति 2/- रुपये के अंकित मूल्य पर 0.65 रुपये प्रति शेयर (अर्थात् 188.10 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 32.50 प्रतिशत की दर से) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।
- iii. जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए अपने लाभांश वारंट को प्राप्त नहीं किया है या भुनाया नहीं है, वे डुप्लिकेट वारंट जारी करने के लिए या

डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु लेटर ॲफ अंडरटेकिंग सहित वारंट के पुनःवैधीकरण हेतु या एनईएफटी मोड के माध्यम से भुगतान के लिए, कंपनी के आरटीए, अलंकित से संपर्क कर सकते हैं।

- iv. निदेशक मंडल द्वारा अनुशांसित अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान **मंगलवार, 04 अक्टूबर, 2022** से उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं और डीमेट्रियलाइज्ड शेयरों के मामले में भुगतान, शेयरों के उन लाभार्थी स्वामियों को किया जाएगा, जिनके नाम **शुक्रवार, 9 सितंबर, 2022** को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभकारी स्वामित्व के विवरण में दर्शाए गए हैं।
- v. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही **शनिवार, 10 सितंबर, 2022** से **शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।
- vi. लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है।
- vii. इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश के भुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे संलग्न ईसीएस मैंडेट फॉर्म को भरें और ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसे सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों (डीपी) को जमा कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, ईसीएस मैंडेट फॉर्म को कंपनी के आरटीए (अलंकित) को भेज सकते हैं। जिन लोगों ने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को पहले ही ईसीएस मैंडेट फॉर्म भर दिया है, उन्हें इसे दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, कृपया अपने बैंकरों का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या अलंकित को मेल कर सकते हैं ताकि वे लाभांश वारंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें।

viii. लाभांश के संबंध में स्रोत पर कर कटौती

- क) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभांश, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से आय पर करयोग्य होगा और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों हेतु वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का अवलोकन करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अलंकित (भौतिक मोड में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें।
- ख) निवासी शेयरधारकों के लिए, जिन्होंने पैन प्रदान किया है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-194 के तहत स्रोत पर कर की कटौती लाभांश की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से की जाएगी। यदि कोई पैन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो अधिनियम की धारा 206कक के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती 20 प्रतिशत की दर से की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निवासी शेयरधारकों को प्राप्त होने वाला कुल लाभांश 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो, निवासी व्यक्ति को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच प्रदान करता है और बशर्ते कि सभी आवश्यक पात्रता शर्त पूरी की गई हैं, स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।

दिनांक 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2021 के तहत धारा 206एबी में, व्यक्ति के मामले में कर की उच्च दर की कटौती का प्रावधान है:

206एबी – आयकर विवरणी दाखिल न करने वालों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष प्रावधान – (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों में निहित किसी बात के होते हुए, जहां अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, अन्य धारा 192, 192ए, 194बी, 194बीबी, 194एलबीसी या 194एन की तुलना में एक व्यक्ति द्वारा (इसके बाद, कटौतीकर्ता के रूप में संदर्भित) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी भी राशि या आय या भुगतान की गई राशि, या देय या जमा की गई राशि, पर निम्नलिखित दरों से कर की कटौती की जाएगी:-

- (i) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर पर, या
- (ii) लागू दर या दरों के दुगुने पर, या
- (iii) पांच प्रतिशत की दर पर।

यदि इस खंड के प्रावधान के अतिरिक्त, धारा 206एए के प्रावधान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू होते हैं, तो इस खंड में और खंड 206एए में प्रदान की गई दो दरों में से उच्चतर दर पर कर कटौती की जाएगी।

- ग) अधिनियम की धारा 194, 196, 197ए और सीबीडीटी अधिसूचना के प्रावधानों के मद्देनजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और किसी अन्य बीमाकर्ता के स्वामित्व वाले किसी शेयर या जिसमें उसका पूर्ण लाभकारी हित है, के संबंध में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित एक निगम, जो कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत, अपनी आय, म्यूचुअल फंड, किसी भी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से आयकर से छूट प्राप्त है, धारा 10(44) में संदर्भित न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और श्रेणी—। या श्रेणी—॥ वैकल्पिक निवेश कोष (धारा 115यूबी के अनुसार सेबी के साथ पंजीकृत) अधिसूचना 51/2015 के अनुसार, उनकी आय से इतर, व्यापार और पेशे के लाभ और लाभ के अलावा स्रोत पर कर कटौती से छूट दी गई है।
- घ) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) श्रेणी के शेयरधारकों के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196डी के तहत देय लाभांश की राशि पर 20 प्रतिशत (जमा लागू अधिभार और उपकर) के तहत स्रोत पर कर काटा जाएगा।
- ङ.) अन्य अप्रवासी शेयरधारकों के लिए, लागू दरों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा—195 के प्रावधानों के अनुसार करों की कटौती की जानी अपेक्षित है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, उन्हें देय लाभांश की राशि पर 20 प्रतिशत (जमा लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर काटा जाएगा। हालांकि, अधिनियम की धारा 90 (2) के अनुसार, अप्रवासी शेयरधारक के पास, भारत और शेयरधारक के निवास राष्ट्र के करों के बीच दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है, यदि वे उनके लिए अधिक लाभप्रद हैं। डीटीएए के तहत स्रोत पर कर कटौती की दर का लाभ उठाने के लिए, ऐसे अप्रवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित अभिलेख प्रदान करने होंगे:

- i. भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति;

- ii. आवासीय स्थिति की पुष्टि करने वाले क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों से कर निवास प्रमाण पत्र [वित्त वर्ष 2022–23 में घोषित लाभांश के लिए] – टीआरसी;
 - iii. निर्धारित प्रपत्र 10एफ में अप्रवासी द्वारा घोषणा;
 - iv. अप्रवासी शेयरधारक द्वारा स्व–घोषणा इस प्रकार है:
 - भारत के साथ लागू कर समझौतों में प्रिंसिपल पर्फस टेस्ट (यदि कोई हो) को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर समझौता लाभों के लिए दावा करने की पात्रता को लागू किया गया है,
 - लागू कर समझौते के अनुसार भारत में कोई स्थायी स्थापना/निश्चित आधार नहीं है,
 - शेयरधारक इकिवटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी होने के कारण।
- च) आयकर अधिनियम, 1961 के संबंधित प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाने वाली उचित कर दर का निर्धारण करने में हमें सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में उपरोक्त विवरण और दस्तावेज को <https://einward.alankit.com/> लिंक पर शाम 05.00 बजे आईएसटी, तक शुक्रवार, 09 सितंबर, 2022 को या उससे पहले अपलोड करें। दिनांक 09 सितंबर, 2022 को 05:00 अपराह्न के बाद प्राप्त होने वाले कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छ) कृपया ध्यान दें कि कंपनी, लाभांश राशि पर कर कटौती/रोकने के समय, लाभकारी डीटीएए दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लाभकारी डीटीएए दर का आवेदन अप्रवासी शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।
- ज) टीडीएस दर का आवेदन, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध शेयरधारक विवरण और कंपनी/अलंकित के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के अधीन है।
- झ) यदि टीडीएस उच्च दर पर काटा जाता है, तो शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धनवापसी का दावा करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है।

- ट) सदस्य/सदस्यों द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत विवरण, अशुद्धि या जानकारी की चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसा/ऐसे सदस्य, कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, कंपनी को अपीलीय कार्यवाही में सहयोग करने के लिए सभी सूचनाएं/दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।
- ठ) यह सम्प्रेषण संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में सभी संभावित कर परिणामों का पूर्ण विश्लेषण या सूचीकरण नहीं है, इसलिए, तो शेयरधारकों को उनके द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के लिए अपने कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।
28. सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:-
- (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 13 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और गुरुवार 15 सितंबर, 2022 को सायं 05:00 बजे अपराह्न को समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, शुक्रवार, 9 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तिथि, दिनांक 9 सितंबर, 2022 को कंपनी की प्रदत्त इकिवटी शेयर पूँजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम-44 के तहत, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।
- वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए, शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाता धारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के तहत ई-वोटिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। | डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुलभ होगा, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

एनएसडीएल मे इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में, ई-वोटिंग प्रणाली पर दो चरण शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

चरण 1 : एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

- क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:-

शेयरधारक टाइप	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता, पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर लॉगिन के तहत बेनिफिशियल ऑनर आइकन पर क्लिक करें, जो आईडीएस सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के लिए प्रोम्ट करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।

2. यदि आप आईडीईएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प <https://eservices.nsdl.com> पर उपलब्ध है। आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण” सलेक्ट करें या <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp> पर विलक करें।
3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, ‘लॉगिन’ आइकन पर विलक करें जो –‘शेयरधारक/सदस्य’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर विलक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ‘एनएसडीएल स्पीड’ सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

NSDL Mobile App is available on



<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा उपयोगकर्ता, जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। उन्हें बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdsindia.com/myeasi/home/login या www.cdsindia.com हैं और New System Myeasi पर क्लिक करें। 2. Easi/Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdsindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, www.cdsindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात् एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे, जहां ई-वोटिंग चल रही है।
<p>व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या</p>

	ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर विलक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
--	--

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क का प्रयोग किया जा सकता है।

लॉगिन टाइप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022–23058738 या 022–23058542–43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट में लॉग–इन कैसे करें?

- एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com/> को टाइप करके वेब ब्राउजर को ओपन करें।

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' आइकन पर विलक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड / ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल की ई-सेवा अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप, अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर विलक करें और आप चरण-2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरधारण करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है :
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी के साथ 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग-इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
 - ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'इनीशियल पासवर्ड' प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'इनीशियल पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'इनीशियल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के का विकल्प देगा
 - ग) अपना 'इनीशियल पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
 - (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका इनीशियल पासवर्ड, आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात .pdf फाइल को देखें। इस पीडीएफ फाइल को खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'इनीशियल पासवर्ड' होता है।
 - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें, जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।
6. यदि आप आरंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
- क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प फॉरगेट यूजर डिटेल/पासवर्ड? (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) पर क्लिक करें।
 - ख) भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड? (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।

- घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों से सहमत" पर टिक करें।
 8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर विलक करना होगा।
 9. "लॉगिन" बटन पर विलक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।
- चरण 2 :**अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों?
1. चरण-1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
 2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं, उसका "EVEN" चुनें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर विलक करना होगा।
 3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
 4. उचित विकल्प अर्थात् सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें, जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और 'सबमिट' पर विलक करें और संकेत मिलने पर 'कन्फर्म' पर भी विलक करें।
 5. कन्फर्म होने पर, 'वोट कास्ट सक्सेसफुली' संदेश प्रदर्शित होगा।
 6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर विलक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
 7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा), जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, को sachin@companylawworld.com पर ई-मेल द्वारा evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजने की आवश्यकता है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने बोर्ड के संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकरण पत्र आदि को ई-वोटिंग टैब के तहत प्रदर्शित “अपलोड बोर्ड रेसोल्यूशन / अथारिटी लेटर” पर विलक करके भी अपलोड कर सकते हैं।
2. इस बात की कड़ाई से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको उपयोगकर्ता विवरण/फार्मट पासवर्ड? या भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड? का विकल्प चयन करना होगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल को ईमेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए और ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया :

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा rta@alankit.com पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी-सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) rta@alankit.com पर भेजें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने

वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण-1 (क) में बताई गई लॉगिन विधि को देखें, अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि।

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
29. सदस्यों के लिए एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं :—
 1. वार्षिक साधारण बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया वही है, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार है।
 2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
 3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
 4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।
30. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:
 1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के तहत एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "बैठक में शामिल हों (Join Meeting)" मीनू के तहत रखे गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक को देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मीनू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
 2. सदस्यों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. आगे सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
 4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए, किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
 5. सदस्य बैठक के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा एजीएम में वीसी/ओएवीएम मोड में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है। हालांकि, पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने के लिए इस संख्या में बड़े शेयरधारक अर्थात् 2 प्रतिशत या अधिक शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत शेयरधारक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं हैं।
31. शेयरधारकों/सदस्यों के लिए वार्षिक आम बैठक के दौरान बोलने के अनुदेश

- (i) जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए फॉर्म में अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से investors@ircon.org पर एक अनुरोध भेजकर खुद को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। स्पीकर पंजीकरण अवधि सोमवार, 12 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और मंगलवार, 13 सितंबर, 2022 को समाप्त होती है। केवल उन्हीं सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी, जिन्होंने वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया होगा।

वक्ता पंजीकरण फॉर्म*

शेयरधारक का नाम (संयुक्त धारक सहित)

डीपीआईडी-सीएलआईडी/फोलियो नंबर

स्थायी खाता संख्या (पैन)

मोबाइल नम्बर

संक्षेप में प्रश्न

* सभी फील्ड अनिवार्य हैं

(ii) कंपनी, एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

32. अन्य :

- 1 निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में श्री सचिन अग्रवाल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफ5774) को और उनके बाद सुश्री गरिमा, पेशेवर कंपनी सचिव (ए27100), मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों (पंजीकरण संख्या 5914) को नियुक्त किया है।
- 2 संवीक्षक, एजीएम में मतदान के समापन के तुरंत पश्चात, एजीएम की तारीख पर रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को कम से कम ऐसे दो (2) गवाहों की उपस्थिति में अनब्लॉक करेगा, जो कि कंपनी में कार्यरत नहीं हैं और, लिखित रूप में उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा, बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के बाद, कंपनी के अध्यक्ष/कंपनी सचिव या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट, यदि कोई हो, बनाएगा। अध्यक्ष/कंपनी सचिव या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति मतदान के परिणाम की घोषणा तत्काल करेगा।
- 3 संकल्पों के परिणाम, कंपनी की एजीएम के बाद घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा, बशर्ते कि उन्हें संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट मिले हों।
- 4 घोषित परिणाम स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org और एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा। ई-वोटिंग की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

विशेष व्यावसायिक मदों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 7

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक की पुष्टि करने हेतु

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा—148 के अनुसार, लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर की जाएगी। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के तहत, बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते समय (लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर) उन्हें देय पारिश्रमिक को मंजूरी देनी होती है और बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित पारिश्रमिक की पुष्टि बाद की आम बैठक में सदस्य द्वारा की जाती है।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने दिनांक 27 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में लागू नियमों/मार्गदर्शन नोट, आदि के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा, या उसमें किसी भी संशोधन के लिए मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में 50,000/- रुपये जमा जीएसटी और वास्तविक जेब खर्च (केवल दिल्ली एनसीआर के बाहर यात्रा के मामले में) के पारिश्रमिक पर पुनःनियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

उक्त प्रस्तावों में कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

ह/-

(रितु अरोड़ा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ5270

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 अगस्त, 2022

पुनःनियुक्ति प्राप्त करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

46वीं एजीएम में पुनःनियुक्ति प्राप्त करने वाले निदेशक:

नाम	श्री श्याम लाल गुप्ता	श्री धनन्जय सिंह
नियुक्ति / पुनःनियुक्ति	निदेशक (परियोजना) के रूप में पुनःनियुक्ति (रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त)	अंशकालीन (सरकारी) निदेशक के रूप में पुनःनियुक्ति (रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त)
डिन	07598920	08955500
आयु	59 वर्ष	51 वर्ष
नियुक्ति तिथि	1 नवंबर, 2019	10 नवंबर 2020
अर्हता	रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्जीक्यूटिव एज्युकेशन (स्पीड), एशिया ई-यूनिवर्सिटी से परियोजना प्रबंधन में एग्जीक्यूटिव मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है।	लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हैं।
विशिष्ट क्रियात्मक क्षेत्र में अनुभव और विषेशज्ञता सहत संक्षिप्त परिचय	इनके पास 37 वर्षों का समग्र अनुभव है और उन्होंने भारतीय रेलवे में अवसंरचनात्मक क्षेत्र और विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। इन्हें नवंबर, 2006 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ	वे वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने निदेशक (कार्य) (रेलवे बोर्ड), वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर रेलवे) सहित रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे मुंबई रेल विकास निगम

	<p>इंजीनियर्स द्वारा महाप्रबंधक के रूप में इरकॉन में प्रतिनियुक्त किया गया था और उसके बाद दिनांक 17 अगस्त, 2011 से इरकॉन में स्थायी रूप से आमेलित कर लिया गया था। वे निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त होने से पहले इरकॉन में कार्यकारी निदेशक (सामान्य) के पद पर कार्यरत थे। इनकी देखरेख में श्रीलंका में कई परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया गया। वह वर्तमान में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, श्रीलंका आदि में रेलवे परियोजनाओं के प्रभारी हैं।</p>	(एमआरवीसी) में उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे।
अन्य कंपनियों और सूचीबद्ध निकायों में धारित निदेशक पद, जहां से व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है	<p>इरकॉन के नामित निदेशक के रूप में:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड 3. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 4. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रेल विकास निगम लिमिटेड 2. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. केरल रेल विकास निगम लिमिटेड 4. पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अन्य कंपनियों में धारित सदस्यता / अध्यक्ष पद	शून्य	शून्य
लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारण सहित इरकॉन में	10,600	शून्य

धारित शेयरों की संख्या		
कंपनी में अन्य निदेशकों/कैएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति और पुनःनियुक्ति की शर्तें और निबंधन	दिनांक 12 अक्टूबर 2019 के रेलवे बोर्ड के आदेश सं. 2018/ई(ओ) ।।/40/23 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार 1,8,000–3,40,000 (आईडीए–संशोधित) पर नियुक्त।	दिनांक 05 नवंबर 2020 के रेलवे बोर्ड के आदेश सं. 2004/पीएल/44/4 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार नियुक्त।
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति (कार्यकाल के दौरान)	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित 9 बैठकों में से 9 बैठकों में भाग लिया।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित 9 बैठकों में से 7 बैठकों में भाग लिया।

ECS MANDATE CUM E-COMMUNICATION REGISTRATION FORM

IF SHARE(S) IS/ARE HELD IN PHYSICAL MODE

Please send the form to the Registrar at following address –

Alankit Assignments Limited
Unit : **IRCON INTERNATIONAL LIMITED**
205-208, Anarkali Complex,
Jhandewalan Extension,
New Delhi-110055

IF SHARE(S) IS/ARE HELD IN DEMAT (ELECTRONIC) MODE

Please send the form to your concerned Depository Participant where you maintain your Demat Account.

Dear Sir,

I/We hereby furnish the details as required by you. Kindly record the same and confirm:

- (1) Name of Shareholder(s) (i) _____
(ii) _____
(iii) _____
- (2) Folio No.: _____
- (3) Registered Address: _____
(Enclose self-attested copy of Aadhar cards, Driving License or electricity bill not more than three months earlier)
- (4) PAN: _____
(Enclose self-attested copy of PAN card/s of all holders)
- (5) E-mail ID (to be registered): _____
- (6) Bank Account No.: _____
(Enclose name printed original cancelled cheque/self-attested copy of passbook with details of account holder printed)
- (7) Name of the Bank: _____
- (8) Branch Address: _____
- (9) IFSC No.: _____
- (10) MICR No.: _____
- (11) Mobile / Telephone number: _____

I hereby, declare that the particulars given above are correct and complete.

Name of Shareholder(s)

Signature of Shareholder(s)

I. _____
(First Holder)

II. _____

III. _____

Date:

Important Notes:

Shareholders are requested to keep company informed as and when there is any change in the e-mail address or Bank/Branch address and Account No.

* Strike out whichever is not applicable